

62/25

25/03/25

ज्यायतय को इसी आदेशानुसार अपील
 एवं दोषी करार करके उपाधीन
 अधीनस्थ न्यायालय की जमानत प्राप्त
 होने के लिये सहायक जज
 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का
 वैधानिक विधि द्वारा उच्च न्यायालय
 अपीलवाही/ऑर मायल का 2 (एक) के
 द्वारा 13 RPO दायीय समिति के
 न्यायालय द्वारा प्रेषित आदेशिका/वापिस
 लि जाते पर ऑर मायल/अपीलवाही के
 राजस्थान गुण निपेक्ष आदेशिका, 1978 की
 द्वारा 2(ख)(5) के परिभाषित शर्तों के
 अधीन "गुण" का कि होने पर राजस्थान
 गुण निपेक्ष अधीन 1978 की द्वारा 3 के लिये
 कार्यवाही कर दिनांक 20/01/2025 को 60 दिनों के
 लिये कोर्ट ऑफ अपील के अंतर्गत पर
 धाना की, क्लियर कर के लिये निष्काशित लि
 जाने का अधीन-चारित्र विधि द्वारा

इस प्रकार उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण के
 जिला अदालत की अपील वापिस के 60 दिनों की, के
 दिनांक 20/01/2025 को अजायब के अंतर्गत उच्च
 न्यायिक एवं अन्य अपीलवाही के लिये उच्च
 न्यायिक/अदालत होने के अधीन की जाती है निर्णय की
 समिति/तक अधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेशिका
 न्यायालय के निर्णय अनुसार उपाधीन जमानत प्राप्त
 शांतिपूर्ण रूप से


 जज न्याय आयुक्त
 जज न्याय, कोर्ट

अपील